कार्यालयः **प्रभारी अधिकारी–अर्जन**
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ।

पत्रांकः– 924/एसी./तह./2023

दिनांक 06.01.2023

अधिशासी अभियन्ता जोन–1

कृपया संलग्न पार्ट ले–आउट प्लान ऑफ फियूचर प्लानिंग निकट इकाना क्रिकेट स्टेडियम का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें फियूचर प्लानिंग के रेखांकित भाग के अन्तर्गत प्लाट संख्या–सी0पी0–7, सी0पी0–8 व डी0एस0–1 से डी0एस–16 के अन्तर्गत पड़ने वाले भूमि के खसरा संख्याओं का विवरण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

प्रश्नगत फियूचर प्लानिंग में पार्ट–लेआउट में दर्शित/रेखांकित भू–भाग के प्लाट संख्या–सी0पी0–7 सी0पी0–8 व डी0एस0–1 से डी0एस0–16 के अन्तर्गत ग्राम–अरदौनामऊ, लखनऊ के खसरा संख्या–397पी, 400पी एवं ग्राम–अहमामऊ की खसरा संख्या–525पी, 523, 524, 522पी, 520, 521पी, 516पी व 515पी पर पड़ते है।

उल्लेखनीय है कि ग्राम–अरदौनामऊ, लखनऊ के खसरा संख्या–397 व 400 का पुनर्गहण किया जा चुका है, जिसके आदेश संख्या–2070/डी0एल0आर0सी0/पुर्न0/08 दिनांक 14.07.2008 की छायाप्रति संलग्न है तथा ग्राम–अहमामऊ की खसरा संख्या–525, 523, 524, 522, 520, 521क, 516 व 515 का पुनर्गहण किया जा चुका है, जिसके आदेश संख्या–3549/8–50(2010–11) दिनांक 13.08.2013 की छायाप्रति संलग्न है।

कृपया अवगत होना चाहें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

(अमित राठौर)
प्रभारी अधिकारी–अर्जन

प्रतिलिपिः–उपाध्यक्ष/सचिव महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

(अमित राठौर)
प्रभारी अधिकारी–अर्जन

A.E. (AR)
6/1/23
E.E.-1

संख्या 3549 /50(2010-11)

कार्यालय आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

दिनांक 13 अगस्त, 2013

आदेश

शासकीय आदेश संख्या 68-3 [illegible] 1 19.. आ0 1, दिनांक 5.9.86 में आंशिक परिष्कार करते हुए और उ0प्र0 जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1, 1951) की धारा 117 की उपधारा(6) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग 1 की अधिसूचना संख्या-प्र.म.87/एक-1/2010-5-1-(43) दिनांक 19.04.2010 एवं शासनादेश संख्या 985/एक-1-2011-2(23)/2006 टी0सी0, दिनांक 30.08.2011 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं संजीव सरन, आयुक्त, लखनऊ मण्डल अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 5.9.1986 के द्वारा अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित है, जो ग्रामसभा में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा प्रमुख सचिव, आवास, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सशुल्क स्तम्भ-8 में उल्लिखित प्रयोजन हेतु प्रदान करता हूँ:-

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्रामसभा	भूमि संख्या/क्षेत्रफल	प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	लखनऊ	लखनऊ	लखनऊ	अहमामऊ	अहमामऊ	515/0.167हे0, 516/0.297हे0, 519/0.190हे0, 520/0.616हे0, 521क/0.686हे0, 522/0.797हे0, 523/0.190हे0, 524/0.246हे0, 525/17.989हे0, 526/3.306हे0 कुल रकबा 24.484हे0	लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु

(संजीव सरन)
आयुक्त,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ।

2- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, लखनऊ।

3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

4- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5- जिलाधिकारी, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-158/डी0एल0आर0सी0/पुर्न/2013, दिनांक 17.06.2013 जो शासन के पत्र संख्या-895/आठ-1-13-40विविध/2013, दिनांक 09.04.2013 के सन्दर्भ में है, इस आशय से प्रेषित कि लखनऊ विकास प्राधिकरण से राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-258/16(1)-73-रा0-1,दिनांक 09.05.1984 के अनुसार पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि कुल रकबा 24.484हे0 गांवसभा की भूमि का प्रचलित बाजार दर पर आंकलित मूल्य ₹ 17,13,88,000.00 तथा संशोधित शासनादेश संख्या-888/एक-1/2004-राजस्व-01, दिनांक 14.9.2004 के अनुसार उक्त भूमि की नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के 150गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य की धनराशि ₹ 1,81,449.00 शासनादेश दिनांक 16.6.81 के प्रस्तर-3(9) में उल्लिखित लेखाशीर्षक "0029-भूराजस्व-अन्य प्राप्तियां-8 मालिकाना-राजस्व व प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" में जमा कराने के उपरान्त ही भूमि का भू-अभिलेखों में नामान्तरण एवं कब्जा हस्तान्तरण किया जाये। तद्नुसार कृत कार्यवाही से शासन व इस कार्यालय को अवगत करायें।

6- गार्ड फाईल हेतु।

(ओम प्रकाश पाठक)
अपर आयुक्त(प्रशासन)
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।